

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*259  
10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

"वन नेशन, वन बाइंग कोकिंग कोल नीति"

**\*259. डॉ. थोल तिरूमावलवन:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में इस्पात विनिर्माताओं के लिए सरकार के पास "वन नेशन, वन बाइंग कोकिंग कोल नीति" का कोई तंत्र विद्यमान है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास ऐसी नीति के कार्यान्वयन से पहले और बाद में आयात की लागत के संबंध में कोई आँकड़े मौजूद हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**डॉ. थोल तिरूमावलवन, संसद सदस्य द्वारा "वन नेशन, वन बाइंग कोकिंग कोल नीति" के संबंध में दिनांक 10.03.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित (\*) प्रश्न संख्या \*259 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क): इस्पात उद्योग एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका कच्चे माल की सुरक्षा सहित इस्पात उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु एक सुविधाप्रदाता की है। अभी तक ऐसी कोई 'वन नेशन, वन बाइंग कोकिंग कोल नीति' नहीं है। कोकिंग कोल की अधिप्राप्ति मुख्य रूप से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की अलग-अलग इस्पात कंपनियों द्वारा उनकी वाणिज्यिक आवश्यकताओं और मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर की जाती है।

(ख): उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता है।

\*\*\*\*\*